


उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

26.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित। वकील वादी ने पत्रावली
में न्यायालय की अब तक की
कार्यवाही से संतुष्ट होते हुए उणे
कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
वकील वादी ने प्रकरण नोट-प्रेस
करने का निवेदन किया। वकील
वादी द्वारा नोट-प्रेस करने के माध्यम
पर पत्रावली खारिज की जाती है।
पत्रावली फॉरमल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर होवे।

पत्रावली
26/6/24


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा